फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

प्रार्थीगण — अप्रार्थीगण

हुक्मीचन्द बनाम लक्ष्मीनारायण वगैरह

प्रकरण : राजस्व प्रार्थना पत्र — मुकदमा नं. 46 / 2022

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
23.05.2022	यह प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वकील श्री नरेन्द्र सिंह राठोड ने पेश किया। बहस वकील प्रार्थी की एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज, शपथ पत्र एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जिससे मामला पृथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है एवं ग्राम नीमनगर तहसील जायल के खसरा नं. 1391 रकबा 3.0109 हैक्टेयर, ख.न. 1400 रकबा 5.1881 हेक्टेयर, ख.न. 1420 रकबा 2.1772 हेक्टेयर, ख.न. 1421 रकबा 2.6224 हेक्टेयर, ख.न. 1422 रकबा 2.7923 हेक्टेयर, ख.न. 2082/1391 रकबा 0.8094 हेक्टेयर में प्रार्थी के हक हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि तथा राजस्व रेकर्ड में परिवर्तन तथा भूमि का बैचान हस्तान्तरण यदि होता है तो अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी पक्ष को होगी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे प्रथम दृष्टयां मामला विवादित खसरा के विभाजन का प्रतीत होता है जिसमें दोनो पक्षों का हित निहित है। उक्त भूमि में सुविधा का संतुलन भी उभयपक्षकारान के पक्ष में प्रतीत होता है तथा उक्त भूमि का बिना विधिवत् बंटवारे के बैचान, हस्तान्तरण इत्यादि होता है तो अपूरणीय क्षति भी उभय पक्षकारान् को होगी। अतः उभय पक्षकारान् को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किया जाता है कि अप्रार्थीगण को मौजा नीमनगर तहसील जायल के खसरा नं. 1391 रकबा 3.0109 हैक्टयेर, ख.न. 1400 रकबा 5.1881 हेक्टेयर, ख.न. 1420 रकबा 2.1772 हेक्टेयर, ख.न. 1421 रकबा 2.6224 हेक्टेयर, ख.न. 1422 रकबा 2.7923 हेक्टेयर, ख.न. 2082/1391 रकबा 0.8094 हेक्टेयर भूमि का बैचान, हस्तान्तरण आगामी तारीख पेशी तक नहीं करे तथा राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति आगामी तारीख पेशी तक बनाये रखे एवं भूमि का बैचान हस्तांतरण दान आदि तस्दीक नहीं। अप्रार्थीगण को जबाब हेतु जरिये नोटिस तलब किया जावे। वकील प्रार्थी आदेश 39 नियम 3 सीपीसी के तहत पक्षकारों की तलबी हेतु सम्मन मय रजिस्ट्रड डाक खर्च के साथ पेश करें। पत्रावली दिनांक 28/6/2022 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल	(हस्ताक्षर)
28/6/2022	वकालतनामा उप. अप्रार्थी की ओर जवाब, प्रार्थना पत्र पेश हुआ। सा. मिसल रही मिसल दिनांक 29/6/22 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल	(हस्ताक्षर) (हस्ताक्षर) Adv

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
29/6/22	पत्रावली प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र से संबंधित आदेश 9 नियम 13 सीपीसी का खारिज हो गया है जिसके वाद का प्रार्थना-पत्र चलने का औचित्य शेष नहीं रहा है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RT Act का खारिज किया जाकर आदेश का दिनांक 23/5/2022 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश को अपास्त किया जाता है मिसल नम्बर से कम होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो [signature] 29/6/22 सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल	